

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
31-7-17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय सप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-18-8-17 को पेश हो
18-8-17	इकाजदी पेची देने पर पत्रावली भ्रज पेश हुई। अधिकारमय हस-सलमन न्यायालय का वर्षिकर होने से-अन्य कार्यवाही हेतु दिनांक 4-10-17 को पेश हो
4-10-17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय सप. वर्क स्पेस किया अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-6-11-17 को पेश हो
6-11-17	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय सप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-28-12-17 को पेश हो
28-12-17	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/वकील/उभय पक्षकारान-उपस्थित पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11-1-18 को पेश हो
11-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय सप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-16-3-18 को पेश हो
16-3-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय सप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-28-09-18 को पेश हो
28-09-18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय सप. अनुपस्थित/ पीठासीन अधिकारी दौर पर/ अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार आईन्दा दिनांक-12-12-18 को पेश हो

दिनांक

13/05
पत्रावली पत्र हुई। वकूलाय उप.
~~मुकम्मिल~~ / पीठासीन अधिकारी
को पर / ~~अन्य कार्य में व्यस्त।~~
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 23/05/19 को पेश हो

29/05
पत्रावली पत्र हुई। वकूलाय उप.
~~मुकम्मिल~~ / पीठासीन अधिकारी
को पर / ~~अन्य कार्य में व्यस्त।~~ अधिकारतागत का कार्य स्वयं
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 28/08/19 को पेश हो

28/08
पत्रावली पत्र हुई। वकूलाय उप.
~~मुकम्मिल~~ / पीठासीन अधिकारी
को पर / अन्य कार्य में व्यस्त।
पत्रावली पूर्ण आदेशानुसार आईन्दा
दिनांक 22/11/19 को पेश हो

22/19

वकूलाय उम्रपत्र उप०। उर्यता पत्र रिसीवरी
में संबंधित मूल वादपत्र राजस्व मण्डल में किया
गया है तथा ज० पत्र रिसीवरी से संबंधित मूल
ज० पत्र वी० आई० पूर्व में Confirmed की
जा चुकी है। अतः ज० पत्र रिसीवरी में आगे
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। उर्यता
पत्र रिसीवरी इसी स्तर पर Drop की
जाती है। पत्रावली केसल शुभ्रा हेतु नम्बर
में कम हो तथा वाद तकमील दाखिल उपल
हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जा।